P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-8* April- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

संघ राज्य क्षेत्र : आलोचनात्मक मूल्यांकन

Union Territories: A Critical Assessment

Paper Submission: 05/04/2021, Date of Acceptance: 22/04/2021, Date of Publication: 25/04/2021

मंजु लाडला
सह आचार्य,
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय,
सीकर, राजस्थान, भारत

सारांश

शासन संचालन के स्तर के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को दो भागो में विभाजित किया जाता हैं :–1. एकात्मक शासन व्यवस्था 2. संघात्मक शासन व्यवस्था यदि पूरे देश का शासन एक ही जगह से संचालित होता हैं तो उसे एकात्मक शासन कहा जाता है। यदि शासन एक से ज्यादा स्तर पर संचालित होता हैं तो उसे संघात्मक शासन कहा जाता हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। यहां पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारो द्वारा दो जगह से शासन का संचालन किया जाता है। हालांकि हमारे यहां पर संघात्मकता के साथ–साथ एकात्मकता के लक्षण भी विद्यमान है। संघात्मकता में आदर्श एवं व्यावहारिकता का समावेश करते हुए विकासमय व्यवस्था को अपनाया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक समय–समय पर संघ एवं राज्य क्षेत्रों का निर्धारण होता रहा है। संसद द्वारा विभिन्न राज्यो का गठन, पुनर्गठन तथा नाम व सीमा परिवर्तन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र संघ–राज्य क्षेत्रो के निर्धारण, राज्यो के गठन, पुर्नगठन से ही संबंधित है। इसके अन्तर्गत राज्यों के गठन–पुनर्गठन की विकास यात्रा, परिवर्तन प्रक्रिया, पुनर्गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, विभिन्न अधिनियम तथा संविधान संशोधनो को स्पष्ट किया गया है। साथ ही इस संबंध में उत्पन्न समस्याओं को खोजकर समाधान के उपाय भी सुझाये गये है।

Political systems are divided into two parts on the basis of governance:- 1 Unitary governance 2 Federal governance . If the governance of the entire country is governed from one level ,it is called unitary system. If the rule is governed by more than one level, then it is called federal system. In india federal system has been adopted with many unitary features. Here the government is governed by central government and the state governments in two level. There is balance of normative and empirical elements inindian federalism , So this model is called developing model.

From the attainment of independence till date, union and its territory have been determined from time to time, different states have been constituted, reorganized,and name or extent / boundery have been changed by the parliament. This research paper is related to constitutional reorganization of the states and union territory. In this paper, the development journey of formation and reorganization of states, process of change, Constitutional provisions related to restructuring, various Acts and Constitutional Amendments have been clarified. As well as solutions to the problems arising in this regard have been suggested.

मुख्य शब्द : एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, आदर्श एवं व्यवहारिकता, राज्यों का गठन–पुनर्गठन, संवैधानिक प्रावधान, अधिनियम

Unitary Governance, Fedderal Governance, Normative and Empirical, Formation of the states, Reorganizaion, Constitutional Provisions, Acts.

प्रस्तावना

संविधान के भाग 1 के अन्तर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किये गये है।[1] ''अनुच्छेद 1 में कहा गया हैं कि 'भारत राज्यों का संघ होगा।' इसके 02 अभिप्राय हैं –प्रथम भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। द्वितीय, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। '' यह संघ हैं, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक हैं जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बंटा हुआ

है।''[2] अनुच्छेद 02 संसद को नये राज्य को भारत के संघ में शामिल करने तथा नये राज्यों का गठन करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 03 भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 03 संसद को अधिकृत करता हैं कि संसद :–

1. किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागो को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नये राज्य का निर्माण कर सकती है।
2. किसी राज्य के क्षेत्र को बढा सकती है।
3. किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है।
4. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
5. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।
6. किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नये राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण कर सकती है।

अनुच्छेद 04 में यह घोषित किया गया हैं कि नये राज्यो का प्रवेश या गठन (अनु. 2 के अन्तर्गत) नये राज्यो के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रो और नामो में परिवर्तन (अनु. 03 के अन्तर्गत) को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जायेगा अर्थात् इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिये पारित किया जा सकता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशी रियासतों का भारत क्षेत्र में विलय करने के प्रयास किये गये। 1950 में संविधान लागू किये जाने के समय कुल 29 राज्य क, ख, ख और घ श्रेणियों मे विभक्त थे। इसके पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत परिवर्तन करते हुए कुल 14 राज्य और 06 केन्द्र शासित प्रदेश बनाये गये। इसके पश्चात विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से विभिन्न चरणो में नये राज्यो का गठन, पुनर्गठन, सीमाकंन नाम परिवर्तन किया गया। परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत संघ में 28 राज्य एवं 09 केन्द्र शासित प्रदेश शामिल है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. संघात्मक शासन व्यवस्था का अभिप्राय स्पष्ट करना।
2. संविधान में निहित ''भारत राज्यों का संघ'' होगा को स्पष्ट करना।
3. नये राज्यों के गठन, पुनर्गठन, सीमा तथा नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना।
4. संघशासित प्रदेश एवं राज्यों के गठन की विकास यात्रा से अवगत कराना।
5. विभिन्न राज्य पुनर्गठन अधिनियमों की जानकारी देना।
6. राज्य पुनर्गठन से संबंधित संविधान संशोधनो से अवगत कराना।
7. नये राज्य गठन व पुनर्गठन के औचित्य को स्पष्ट करना।
8. नये राज्य गठन व पुनर्गठन में बाधक तत्व तथा समस्याओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर उपाय खोजना।

साहित्यावलोकन

1. भारत की राज्य व्यवस्था (2020) – एम. लक्ष्मीकान्त –संघ एवं राज्य क्षेत्र निर्धारण की संसंद की शक्ति को स्पष्ट किया गया है।
2. संघ एवं इसका क्षेत्र पार्ट प्रथम (2016) एलक्स एड्रयूज जार्ज – अनुच्छेद 01 से 04 तक का उल्लेख किया गया है।
3. संघ और संघ राज्य क्षेत्र (2015) – एम.एल. आहुजा – विभिन्न राज्यो के गठन एवं पुनर्गठन की जानकारी प्रदान की गई है।
4. भारत का संविधान (2015) – डी.डी.बसु – संविधान के प्रावधान स्पष्ट किये गये है।
5. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था (2015) – डॉ. गीता चतुर्वेदी – संघात्मक व्यवस्था तथा केन्द्र राज्य संबंधो का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है।
6. अधिनियम एवं संवैधानिक कानून (2015) – मारिया पालीवाल – विभिन्न अधिनियमों की जानकारी प्रदान की गई है।
7. सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न केस – बेरूबारी यूनियन केस 1960, मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण फोरम बी, यूनियन ऑफ इण्डिया 2066, रामकिशोर सेन बनाम भारत संघ 1966 इत्यादि।

प्राकल्पनाएं

1. आम नागरिको में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी का अभाव है।
2. भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एकात्मकता का पुट अधिक है।
3. नये राज्यों के गठन, पुनर्गठन हेतु अनेक मांग तथा आंदोलन होते रहते है।
4. राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशो के गठन हेतु बनाये गये कानूनो तथा संविधान संशोधनो की आम नागरिको में अनभिज्ञता है।
5. नये राज्यो के गठन की औचित्यता के सर्वमान्य मापदण्डो का अभाव है।
6. राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशो के गठन, पुनर्गठन में अनेक बाधक तत्व विद्यमान हैं।
7. राज्यों एवं शहरो के मात्र नाम परिवर्तन की राजनीतिक परम्परा स्थापित होती जा रही है।
8. नये राज्यो के गठन एवम् पुनर्गठन में राज्य सरकारो की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है।

शोध प्रविधि

शोध कार्य हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनो ही स्त्रोतो से तथ्य व जानकारी प्राप्त की गई है। सन् 2014 में बना नया राज्य तेलंगाना एवम् सन् 2019 में कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में नये केन्द्र शासित प्रदेश के नागरिको से व्यक्तिशः मिलकर जानकारी प्राप्त की गई है। सुलभ जन प्रतिनिधियों से भी इस संबंध में चर्चा कर उनके विचार भी समाहित किये गये है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न अधिनियमों एवं संविधान संशोधनों का अध्ययन कर तथ्य एकत्रित किये गये है। राज्य पुनर्गठन हेतु बनाये गये विभिन्न आयोग तथा समितियों की रिर्पोटस से भी जानकारी प्राप्त की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित केस के निर्णयों का भी अध्ययन किया गया है।

इसके अतिरिक्त उपलब्ध साहित्य एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से भी अध्ययन सामग्री एकत्रित की गई है।

राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय राज्य – (देशी रियासतों का एकीकरण)

आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाईयों की दो श्रेणियां थी–

1. ब्रिटिश प्रान्त – ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन (11 प्रान्त)
2. देशी रियासते – राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से सम्बद्ध (560)

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान दो स्वतन्त्र देशों का निर्माण हुआ। देशी रियासतों को 03 विकल्प दिये गये –`1. भारत में शामिल हो 2. पाकिस्तान में शामिल हो 3. स्वतन्त्र रहे।[3]

552 देशी रियासतें भारतीय क्षेत्र में थीं, उनमें से 549 भारत में शामिल हो गयी। शेष 03 रियासते हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इन्कार कर दिया। यद्यपि बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ को जनमत के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। स्वतन्त्रता के समय देशी रियासतों का भारत में विलीनीकरण बड़ा कठिन कार्य था। लेकिन भारतीय नेताओं विशेषकर सरदार वल्लभभाई पटेल के सराहनीय योगदान से यह कार्य सम्भव हुआ।

सन् 1950 में राज्यों का उदभव एवं गठन

सन् 1950 में भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से क, ख, ग, घ, श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। भाग क में ऐसे राज्य थे, जहां ब्रिटिश भारत के गर्वनर का शासन था। भाग ख में राज्य विधानमण्डल के साथ शाही शासन, भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन का केन्द्रीकृत शासन था। अण्डमान निकोबार द्वीप को अकेले घ राज्य की श्रेणी में रखा गया था। इस प्रकार कुल 29 राज्यों को क, ख, ग, घ में निम्नानुसार विभाजित किया गया था–

1950 मे भारतीय राज्य

भाग क में राज्य	भाग ख में राज्य	भाग ग में राज्य	भाग घ में राज्य
1. असम	1. हैदराबाद	1. अजमेर	1. अण्डमान और निकाबोर द्वीप
2. बिहार	2. जम्मू और कश्मीर	2. भोपाल	
3. बंम्बई	3. मध्यभारत	3. बिलासपुर	
4. मध्यप्रदेश	4. मैसूर	4. कूच बिहार	
5. मद्रास	5.पटियाला एवं पूर्वी पंज	5. कुर्ग	
6. उड़ीसा	6. राजस्थान	6. दिल्ली	
7. पंजाब	7. सौराष्ट्र	7.हिमाचल प्रदेश	
8. संयुक्त प्रान्त	8. त्रावनकोर–कोचिन	8. कच्छ	
9. पश्चिमी बंगाल	9. विंध्यप्रदेश	9. मणिपुर	
		10. त्रिपुरा	

धर आयोग और जेवीपी समिति (1948)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही देश के विभिन्न भागो, विशेषकर दक्षिण से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। भारत सरकार ने जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषायी प्रान्त आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने दिसम्बर 1948 मे अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन भाषीय कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किये जाने की सिफारिश की गई। [4]

इससे अत्यधिक असन्तोष फैल गया, परिणामस्वरूप दिसम्बर 1948 में एक अन्य भाषायी प्रान्त समिति (जेवीपी) का गठन किया गया। इसमें जवाहरलालनेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभिसीतारमैया शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। [5]

पोट्टी श्रीरामुलू का अनशन और आन्ध्रप्रदेश का गठन (1953)

सन् 1953 में पोट्टी श्रीरामुलू तेलुगू भाषी राज्य के गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गये। 56 दिन के पश्चात उनका निधन हो गया और आन्दोलन तीव्र हो गया। परिणामस्वरूप मद्रास से तेलुगूभाषी क्षेत्र को पृथक कर आन्धप्रदेश का गठन किया गया। इस प्रकार आन्ध्रप्रदेश अक्टूबर 1953 में पहला भाषायी आधार पर गठित राज्य बना।

फजल अली आयोग (1953)

आन्ध्रप्रदेश के निर्माण के बाद अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। परिणामस्वरूप दिसम्बर 1953 में भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्य आयोग का गठन किया। आयोग में के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजक सदस्य के रूप में शामिल थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिये। लेकिन इसने 'एक राज्य एक भाषा' के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया। आयोग का मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुर्ननिर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के लिए चार बड़े कारको की पहचान की–

1. देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण
2. भाषायी व सांस्कृतिक एकरूपता
3. वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क

4. प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन।

इसके अतिरिक्त आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अन्तर्गत चार आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 03 केन्द्रप्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। [6] भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। परिणामस्वरूप राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 07 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लागू किया गया।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956)

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 07 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग ग को समाप्त कर दिया गया। इनमें से कुछ को पड़ौसी राज्यों के साथ मिला दिया गया था तो कुछ को संघशासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। जैसे त्रावणकोण तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। हैदराबाद राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्रों को आन्ध्रप्रदेश में मिलाया गया। इसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्यप्रदेश राज्य का सृजन हुआ। सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, कूर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलयित कर दिया। इसके अतिरिक्त नये संघशासित प्रदेश लक्षदीप, मिनीकाय तथा अमीनद्वीवी द्वीपो का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया। परिणामस्वरूप 01 नवम्बर 1956 को 14 राज्य और 06 केन्द्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया। [7]

	राज्य	केन्द्रशासित प्रदेश
1	आन्ध्रप्रदेश	1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2	असम	2. दिल्ली
3	बिहार	3. हिमाचल प्रदेश
4	बम्बई	4. लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनद्वीवी द्वीप समूह (लक्षद्वीप)
5	जम्मू एवं कश्मीर	5. मणिपुर
6	केरल	6. त्रिपुरा
7	मध्यप्रदेश	
8	मद्रास	
9	मैसूर	
10	उड़ीसा	
11	पंजाब	
12	राजस्थान	
13	उत्तरप्रदेश	
14	पश्चिमी बंगाल	

1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र

महाराष्ट्र और गुजरात (1960)

सन् 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र तथा गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात बनाया गया। इस तरह गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। [8]

दादरा एवं नगर हवेली (1961)

1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहा पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहां लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। [9]

गोवा, दमन एवं दीव (1961 एवं 1987)

1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन तीनों क्षेत्रों को अधिगृहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया गया। [10]

पाण्डिचेरी 1962 (वर्तमान में पुडुचेरी)

1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द किया। 1962 तक इसका प्रशासन 'अधिगृहीत क्षेत्र' की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। [11]

नागालैण्ड (1963)

1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैण्ड राज्य का गठन किया गया और नागालैण्ड भारतीय संघ का 16वां राज्य बना। [12]

हरियाणा, चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश (1966)

1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केन्द्रशासित प्रदेश चण्डीगढ का गठन किया गया। [13] शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिन्दी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। [14] इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केन्द्र प्रशासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह भारतीय संघ का 18 वां राज्य बना। [15]

मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय (1972)

1972 में दो केन्द्रशासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना।[16] इससे पूर्व 1969 में 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायतशासी राज्य

बनाया गया था। यह असम के उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था। जिसका अपना मन्त्रीपरिषद था। इसके अतिरिक्त दो संघशासित प्रदेश मिजोरम [16] और अरूणाचल प्रदेश भी बनाये गये। [17]

सिक्किम (1975)

1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहाँ चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शायी। तदनुसार संसद द्वारा 35 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया और सिक्किम को एक 'सम्बद्धराज्य' का दर्जा दिया गया। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला। इससे सिक्किम के लोगों की महत्वकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। परिणामस्वरूप 1975 में उन्होनें चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 लागू होने पर इसे भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया। इस तरह सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। [18]

मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा (1987)

1986 में भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट के हस्ताक्षर से समझौता हुआ और 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम भारतीय संघ का 23 वां राज्य बना। [19]

1972 में अरूणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश बना था, उसे भी पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में देकर 24 वां राज्य बनाया गया। 20 दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बनाया गया। इस तरह गोवा 1987 में भारतीय संघ का 25 वां राज्य बना। [21]

छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड (2000) (वर्तमान में उत्तराखंड)

सन 1996–97 में उत्तराचल छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य की मांग ने प्रबल आंदोलन की स्थिति प्राप्त कर ली। विभिन्न राजनीतिक दलों में भी इनके निर्माण पर सहमति बन गई। परिणामस्वरूप सन् 2000 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के 8 जिलों को लेकर उत्तराचल बनाया गया। बिहार जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर झारखंड बनाया गया। मध्यप्रदेश की जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय संघ का 26 वां राज्य [22], उत्तराचल 27 वां राज्य [23] और झारखंड 28 वां राज्य [24] बना। उत्तरांचल का नाम 2006 में उत्तराखंड किया गया।

तेलगाना (2014)

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 के पारित होने के पश्चात आंध्रप्रदेश राज्य के भू भाग को काटकर भारत के 29 वें राज्य के रूप में तेलंगाना अस्तित्व में आया। [25] इस तरह राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 1956 में क्रमश से 14 एवं 6 से बढ़कर 2014 में 29 और 7 हो गई है ।

जम्मू कश्मीर और लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश (2019)

6 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य औपचारिक रूप से दो केन्द्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंट गया हैं। [26] नये कानून के तहत जम्मू कश्मीर मे ंतो पुडुचेरी और दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख चंडीगढ़ जैसे बिना विधानसभा का केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया हैं। अतः 2019 में राज्यों की संख्या 29 से एक कम होकर 28 हो गयी है, और केन्द्रशासित प्रदेश 7 से बढ़कर 9 हो गये हैं–

2019 में राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश

	राज्य	संघशासित प्रदेश
1	आन्ध्रप्रदेश	1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2	अरूणाचल प्रदेश	2. चण्डीगढ़
3	असम	3. दादरा एवं नगर हवेली
4	बिहार	4. दमन व दीव
5	छतीसगढ	5. दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
6	गोवा	6. लक्षदीप
7	गुजरात	7. पुडुचेरी
8	हरियाणा	8. जम्मू कश्मीर
9	हिमाचल प्रदेश	9. लद्दाख
10	झारखण्ड	
11	कर्नाटक	
12	केरल	
13	मध्यप्रदेश	
14	महाराष्ट्र	
15	मणिपुर	
16	मेघालय	
17	मिजोरम	
18	नागालैण्ड	
19	उड़ीसा	
20	पंजाब	

21 राजस्थान
22 सिक्किम
23 तमिलनाडू
24 तेलंगाना
25 त्रिपुरा
26 उत्तराखण्ड
27 उत्तरप्रदेश
28 पश्चिमी बंगाल

राज्यों के नामों में परिवर्तन

कुछ राज्य एवं संघशासित क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन किया गया। सर्वप्रथम 1956 में संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश किया गया। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु किया गया। [27] 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया। [28] 1973 में ही लकादीप मिनिकॉय एवं अमीनद्वीवी का नया नाम लक्ष्यद्वीप रखा गया। [29] 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली को (बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए) नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। [30] उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड [31] तथा पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी [32] किया गया। वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण 'ओडिशा' किया गया। [33]

आलोचनात्मक मूल्यांकन

1. संसद की शक्ति – संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नये राज्यों का गठन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि इस तरह के परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। साथ ही संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमण्डल का मत जानने के लिए भी भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिये।
2. राष्ट्रपति (या संसद) राज्य विधानमण्डल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता हैं, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमण्डल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमण्डल के संदर्भ की कोई आवश्यकता नहीं, संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है।
3. इस तरह यह स्पष्ट हैं कि संविधान, संसद को यह अधिकार देता हैं कि वह नये राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दो में संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुननिर्धारण कर सकती है।
4. सामान्य बहुमत से संशोधन – संविधान के अनुच्छेद 4 में यह घोषित किया गया हैं कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत किये गये नये राज्यो का प्रवेश या गठन, निर्माण, सीमाओं क्षेत्रों और नामो में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जायेगा अर्थात् इस तरह के कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता हैं। अतः संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारण्टी नहीं दी गई है।
5. भाषा के आधार पर राज्यों का गठन/ पुनर्गठन किया गया। सर्वप्रथम सन् 1953 में भाषा के आधार पर आन्ध्रप्रदेश राज्य बनाया गया। परिणामस्वरूप 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर राज्यों का भाषा के आधार पर विस्तृत रूप से पुनर्गठन हुआ है। इसके पश्चात भी भारत का राजनीतिक नक्शा लोक समर्पित दबाव एवं राजनीतिक दशा के कारण लगातार बदलता रहा है।
6. भारतीय संघ के कुछ राज्यो के लोगो द्वारा अलग होने के लिए मांग, कुछ क्षेत्र के लोगो द्वारा अलग राज्य की मांग और कुछ केन्द्र शासित प्रदेशो के लोगो द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग जारी हैं।
7. अनेक राज्यों के बीच सीमा विवाद और नदी जल विवाद विद्यमान है।
8. अनेक क्षेत्रीय संगठन हैं जो क्षेत्रवाद की गतिविधियों को बढावा देते रहते है।
9. राज्यों का समरूपी विकास न होने से भी असंतोष विद्यमान है।
10. राज्यो की योजनाओं पर केन्द्र द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किये जाने की भी शिकायत की जाती रही है।
11. राज्यपाल का आचरण भी विवादास्पद रहता है।
12. अनुच्छेद 356 का दुरूपयोग भी होता रहता हैं जिससे राज्यो का केन्द्र में अविश्वास बढता जाता है।
13. अनेक राज्यो एवं शहरो के नाम परिवर्तन की एक राजनीतिक परम्परा बन गई है।

निष्कर्ष

भारतीय संघीय व्यवस्था निरन्तर गतिमान एवं विकासशील व्यवस्था है। संघ एवं राज्यो के क्षेत्र में समय के साथ–साथ परिवर्तन हुआ है। इसके सफलतः संचालन हेतु निम्नलिखित उपाय अतिआवश्यक है–

1. नये राज्यों का गठन व पुनर्गठन जनविकास एवं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही किया जाना चाहिये, भाषा, जाति या वर्ग के आधार पर नहीं।
2. इस संबंध में किये जाने वाली जन मांगो एवं आंदोलनो का समय पर समाधान किया जाना चाहिए ताकि भारत राज्यो का अविभाज्य संघ बना रहे और निरन्तर गतिमान और विकासशील बना रहे।
3. केन्द्र सरकार के द्वारा समरस विकास को अपना लक्ष्य बनाना आवश्यक हैं। यदि देश का एक हिस्सा

विकास के शिखर छु रहा हो, दूसरे हिस्से को जीवन की मूलभत आवश्यकताएं भी उपलब्ध न हो तो ऐसे में विद्रोह व विक्षोभ की भावना पनपना स्वभाविक है। ऐसे किसी विद्रोह के स्वरो को अनुसूना नहीं करना चाहिए।

4. राज्यपालो की भूमिका में सुधार अपेक्षित हैं। राज्यपाल को अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए निष्पक्ष भूमिका अदा करनी चाहिए।
5. अनुच्छेद 356 का प्रयोग यथासंभव कम से कम और उचित परिस्थितियों में किया जाना चाहिये। लोकप्रिय सरकारो को गिराने से केन्द्र सरकार को तत्कालीन लाभ तो शायद हो सकता हैं, पर उसके दूरगामी परिणाम न केवल केन्द्र सरकार अपितु सम्पूर्ण देश के लिए नकारात्मक ही होगे। राज्यो की केन्द्र के प्रति अविश्वसनीयता अन्ततः अलगाववादी प्रवृति को ही हवा देगी।
6. राज्य योजनाओं को स्वीकृति तथा तदनुरूप वितीय अनुदान भी सम्पूर्ण देश की आवश्यकता तथा क्षेत्र विशेष की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित होना चाहिए न कि राजनीतिक आधार पर। राज्यो को कमजोर करके केन्द्र भी सुदृढ नहीं हो सकता है।
7. क्षेत्रीय स्वायतता तथा मौलिकता, संस्कृति, भाषा, रहन–सहन तथा जीवन दर्शन का सम्मान करना आवश्यक है। यह मौलिकता आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास उत्पन्न करती हैं अतः इस पर किसी प्रकार का भावनात्मक आघात उचित नहीं होगा।
8. राज्य व शहरो के नामो में अनावश्यक परिवर्तन बार–बार नहीं किया जाना चाहिए। इससे जनमानस भ्रमित होता है।
9. राज्य सरकारों को भी अतिक्षेत्रीयता व अलगाव की नीति त्यागकर अखण्ड भारत की सोच विकसित करनी चाहिये।
10. क्षेत्रीय संगठन जो हिंसा, साम्प्रदायिकता व अलगाववाद को बढावा देते हैं, उन पर समुचित कार्यवाही होनी चाहिए।
11. भारतीय संघीय व्यवस्था के सुदीर्घ व स्वस्थ जीवन के लिए सर्वोपरि महत्वपूर्ण प्रयास राष्ट्रीय भावना का विकास करना है। एक ऐसी शाश्वत भावना व मूल्य जिसमें एक भूमि से जुड़े रहने का संकल्प हो तथा अभिमान हो। अपनी–अपनी विशिष्टताओं के साथ–साथ एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक जीवन दर्शन के सहभागी होने की भावना हो तो संघवाद तमाम विरोधो व कठिनाईयो का सामना कर सकता है। क्षेत्रीय भावनाओं के बढते महत्व का प्रतीक क्षेत्रीयता के साथ दृष्टिकोण की व्यापकता, राष्ट्रीय हित तथा सह अस्तित्व की भावना जुड़ जाये तो भारतीय संघवाद आदर्श स्थिति को प्राप्त कर सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ. डी.डी. बसु – भारत का संविधान, पृ.सं. 81–86*
2. *डॉ. बी.आर. अम्बेडकर – काण्स्टीटयूट एसेम्बली डिबेटस भाग 7 पृ.सं. 431*
3. *भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947*
4. *घर आयोग प्रतिवेदन – दिसम्बर 1948*
5. *जेवीपी समिति प्रतिवेदन – अप्रैल 1949*
6. *फजल अली आयोग प्रतिवेदन – 1955*
7. *राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956*
8. *बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960*
9. *10 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961*
10. *गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987*
11. *14 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962*
12. *नागालैण्ड राज्य अधिनियम 1962 – प्रभावी 1963*
13. *पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966*
14. *शाह आयोग प्रतिवेदन 1966*
15. *हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 प्रभावी 1971*
16. *उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम (पुनर्गठन) 1971–प्रभावी 1972*
17. *अरूणाचल प्रदेश अधिनियम 1986*
18. *35 वां तथा 36 वां संविधान संशोधन अधिनिय 1974 व 1975*
19. *निजोरम राज्य अधिनियम 1986 –प्रभावी 1987*
20. *अरूणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 प्रभावी 1987*
21. *गोवा, दमन एवं दीन पुनर्गठन अधिनियम 1987*
22. *मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000*
23. *उत्तरप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000*
24. *बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000*
25. *आन्ध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1953, 1956, 2014*
26. *जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019*
27. *मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम 1968*
28. *मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम 1973*
29. *लककादीप मिनिकाय एवं अमीनदीवी दीप समूह (नाम परिवर्तन) अधिनियम 1973*
30. *69 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, प्रभावी 1992*
31. *उत्तराचंल (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2006*
32. *पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2006*
33. *उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2011*
34. *इण्डिया टुडे, प्रतियोगिता दर्पण*
35. *राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, द हिन्दु, द टाइम्स ऑफ इण्डिया, इण्डियन एक्सप्रेस*
36. *विभिन्न ई संदर्भ*
37. *सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न केस के निर्णय इत्यादि।*